भविष्य के निर्माण हेतु कमियों को दूर करना: समावेशी विकास में एसएलबीसी की खास भूमिका*

स्वामीनाथन जे.

श्री वी.जी. शेखर, प्राचार्य, सीएबी, एसएलबीसी के संयोजक, आरबीआई के मेरे सहयोगी, देवियो और सज्जनो ! आप सभी को नमस्कार।

मुझे आज आप सभी को और हमारे सभी एसएलबीसी के संयोजकों को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं समझता हूं कि इन दो दिनों में आप सभी ने बहुत ही उद्देश्यपरक चर्चा की है, जिसमें आपने विभिन्न कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों पर विमर्श किया है, जिन्हें हम समावेशी और सतत संवृद्धि के लिए ऋण वितरण को मजबूत करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाने की योजना बना रहे हैं। एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपनी पिछली भूमिका में तेलंगाना में एसएलबीसी के संयोजक होने के नाते, मैं एसएलबीसी मंच के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने से मिलने वाली अपार व्यक्तिगत संतुष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूं। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में एसएलबीसी हितधारकों के बीच तालमेल परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। देश भर में एसएलबीसी के तत्वावधान में किए गए प्रयासों के माध्यम से, दूरदराज, बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले क्षेत्रों को कवर करने और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने में सराहनीय प्रगति हुई है। हाल ही में, एसएलबीसी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, जिससे आबादी के सभी वर्गों के लिए आसानी और दक्षता के साथ वित्तीय लेनदेन की सुविधा देकर औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन प्रयासों ने निस्संदेह विभिन्न आयामों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम किया है।

इस सम्मेलन का विषय 'समावेशी और सतत संवृद्धि के लिए ऋण वितरण को मजबूत करना' बहुत प्रासंगिक है। समावेशी संवृद्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों में आर्थिक अवसरों, रोजगार और आय के स्तर में असमानताओं को कम करने में मदद करता है। जब संवृद्धि से सभी को लाभ होता है, तो यह व्यापक कल्याण की ओर ले जाता है। अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है और साझा प्रगति की भावना पैदा करती है। यदि हम 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो समावेशी संवृद्धि वास्तव में एक अनिवार्य शर्त है।

इस संदर्भ में, मैं समाधान प्रदान करने में एसएलबीसी की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना चाहूँगा। अब मैं कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्हें हम समावेशी संवृद्धि के संबंध में अपना सकते हैं।

विस्तार में प्रगति हुई, लेकिन उपयोग और गुणवत्ता पर काम किया जाना बाकी है।

आरबीआई द्वारा विकसित वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के तीन आयामों में वित्तीय समावेशन में हासिल की गई प्रगति को मापता है। अंतर्निहित मापदंडों की समीक्षा से पता चलता है कि पहुंच बनाने में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच किलोमीटर के दायरे में हर गाँव (या पहाड़ी इलाकों में 500 घरों की बस्ती) को बैंकिंग की सुविधा प्रदान की गई है, कुछ को छोड़कर। डेटा यह भी दर्शाता है कि यह बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट (बीसी) मॉडल है जिसका उपयोग इस तरह की पहुँच बढ़ाने में किया गया है। हालाँकि, रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीसी बड़े पैमाने पर केवल सीमित सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि कैश-इन/कैश-आउट सेवाएँ और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी भी बैंकिंग सेवाओं के पूरे समूह तक पहुँच नहीं हो सकती है, जो आमतौर पर बैंक शाखाओं में उपलब्ध होती है।

ऋण अनुपलब्धता

भारत में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद, ऋण अनुपलब्धता को कम करने की अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है जो आर्थिक समावेश और संवृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में वास्तव में सुधार हुआ है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की ऋण

* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण - 19 जून 2024 - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के संयोजकों के सम्मेलन में।

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है[1]। इसी तरह, लगभग आधे स्वयं सहायता समूह (SHG) अभी भी ऋण से जुड़े नहीं हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक ऋण के तहत कवर नहीं हुआ है[2]। इन ऋण अनुपलब्धताओं को दूर करने के लिए एक बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता है जिसमें एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

एस.एल.बी.सी. से अपेक्षाएं

मैं चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करना चाहूंगा जहां मेरा मानना है कि एसएलबीसी अत्यधिक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

(i) *सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ प्रभावी समन्वय*

सबसे पहले, सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय अनिवार्य है। एक सामूहिक मंच होने के नाते, एसएलबीसी को बैंकिंग पहलों को विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग सेवाएँ वंचित क्षेत्रों तक पहुँचें, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों का समाधान किया जा सके।

अग्रणी बैंक योजना के दायरे और इसके अंतर्गत बैंकों की भूमिका के बारे में जिला प्रशासन को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से जुड़े बैंकों और सरकारी एजेंसियों के परिचालन स्तर पर कर्मचारियों को नवीनतम घटनाक्रम और उभरते अवसरों के बारे में पता होना चाहिए। बेहतर समन्वय वित्तीय समावेशन पहलों के प्रभाव को बढ़ा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचें और जिससे समावेशी संवृद्धि के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिले।

(ii) *समुचित नियोजन*

मेरा दूसरा बिंदु वार्षिक ऋण योजनाओं की तैयारी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण है। एसएलबीसी को कुछ क्षेत्रों में देखी गई ऋण वृद्धि की कमी के मूल कारणों की पहचान करने के लिए विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय ऋण आवश्यकताओं और ऋण पहुँच में बाधाओं को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स और फील्ड सर्वेक्षण का उपयोग करना शामिल है। विशिष्ट मुद्दों को इंगित करके, चाहे वे बुनियादी ढाँचे, उधारकर्ता जागरूकता या बैंकिंग प्रक्रियाओं से संबंधित हों, एसएलबीसी अधिक लक्षित और प्रभावी ऋण योजनाएँ विकसित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल ऋण प्रवाह को बढ़ाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह उन क्षेत्रों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे सतत आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

नियमित निगरानी और मूल्यांकन इस नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। स्पष्ट मानक और प्रदर्शन संकेतक निर्धारित करके, एसएलबीसी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों में आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। यह पुनरावृत्त दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ऋण योजनाएँ गतिशील रहें और बदलती आर्थिक स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी रहें।

(iii) *प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना*

तीसरा, वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एसएलबीसी को बैंकिंग संचालन को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए फिनटेक समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग, तकनीक से प्रेरित ग्राहक सहायता और डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों ने कार्य-निपटान समय को काफी कम कर दिया है और पहुँच को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, उन्नत डेटा एनालिटिक्स को लागू करने से बेहतर जोखिम मूल्यांकन और क्रेडिट स्कोरिंग में मदद मिल सकती है, जिससे संसूचित ऋण निर्णय लेने में सुविधा होगी। तकनीकी नवोन्मेषों को अपनाने से बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा, दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी और वे सस्ती होंगी।

[1] सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू.के. सिन्हा) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतर ₹20-25 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

[2] कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी बैंक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

डिजिटल ऋण निपटान (प्रोसेसिंग) प्लेटफॉर्म ने ऋण वितरित करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इन प्लेटफॉर्म ने ऋण आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है, जिससे यह तेज़ और अधिक कुशल हो गया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके, यह प्लेटफ़ॉर्म आवेदकों की ऋण पात्रता का अधिक सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऋण उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यह कृषि-ऋण के साथ-साथ एमएसएमई दोनों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है, जिन्हें अक्सर समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

आरबीआई नवोन्मेष केंद्र द्वारा निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच इस दिशा में की गई पहलों में से एक है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक हैं और यह प्लग एंड प्ले मॉडल में काम करता है जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के प्लेयर जुड़ सकते हैं। हाल ही में, नाबार्ड ने आरबीआई नवोन्मेष केंद्र के साथ मिलकर अपने ई-केसीसी ऋण उत्पत्ति प्रणाली को सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच (प्लेटफार्म) के साथ एकीकृत किया है, जिससे कृषि ऋणों के लिए कार्य-समाप्ति समय को हफ्तों से घटाकर मिनटों में किया जा सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। मैं एसएलबीसी को ऋण वितरण में सुधार के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की तलाश करने के लिए और अधिक रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।

डिजिटल भुगतान परितंत्र के विस्तार और गहनता का कार्यक्रम एसएलबीसी के तत्वावधान में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 तक 179 जिले 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हैं। इस कार्यक्रम के तहत, पांच राज्यों, अर्थात् केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और तमिलनाडु ने अपने सभी जिलों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्यों के एसएलबीसी भी जल्द ही अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी जिलों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए कमर कस लेंगे। जिन राज्यों में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल हो गया है, वहां डिजिटल भुगतान मोड के उपयोग की निगरानी के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर देने की जरूरत है।

(iv) *वित्तीय साक्षरता*

यह मुझे मेरे चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आता है जो वित्तीय साक्षरता, विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद, आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में अनभिज्ञ रहता है। बुनियादी वित्तीय सेवाओं के अलावा, एसएलबीसी को वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए जो डिजिटल बैंकिंग के लाभों और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर, एसएलबीसी व्यक्तियों को अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने और उनके लिए उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की पूरी शृंखला से लाभ उठाने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज हमारे पास वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) हैं जो देश के लगभग सभी ब्लॉकों को कवर करते हैं। यह जरूरी है कि ये केंद्र स्थानीय समुदायों और लक्षित क्षेत्रों तक अपनी पहुंच के माध्यम से ठोस बदलाव का माध्यम बनें, और जागरूकता और कार्रवाई के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटें। इसलिए, एसएलबीसी स्तर पर निगरानी केवल आयोजित किए गए शिविरों की संख्या पर ही नहीं बल्कि ठोस परिणामों पर भी केंद्रित होनी चाहिए, जैसे कि- इन वित्तीय जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से जुड़े लाभार्थियों की संख्या।

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी प्रसार के लिए स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप लक्षित जागरूकता अभियानों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न समुदायों के अनूठे वित्तीय व्यवहारों, जरूरतों और चुनौतियों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाने वाली शैक्षिक सामग्री तैयार करना शामिल है। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्रों में, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कृषि वित्तपोषण, फसल बीमा और कुशल बाजार संपर्कों के लिए डिजिटल उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्थानीय संदर्भ में फिट होने के लिए दृष्टिकोण को अनुकूलित करके, एसएलबीसी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता पहल न केवल जानकारीपूर्ण हो बल्कि आकर्षक और कार्रवाई योग्य भी हो।

आरबीआई@100 के लक्ष्य

इस वर्ष हम भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, साथ ही हमने आरबीआई की शताब्दी के लिए अपने आकांक्षात्मक लक्ष्यों की रूपरेखा भी तैयार की है, जिसे आरबीआई @100 कहा जाता है। इन लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना और ऋण उपलब्धता का विस्तार करना शामिल है।

वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना केवल बैंक खातों की संख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला तक पहुँच प्राप्त हो। इसमें बचत, ऋण, बीमा और निवेश उत्पाद शामिल हैं जो उनकी आर्थिक लाभ को बढ़ा सकते हैं। ऋण उपलब्धता का विस्तार करना, विशेष रूप से एमएसएमई, कृषि और हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में, समावेशी विकास और सतत संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि ये आरबीआई@100 उद्देश्यों के हिस्से के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रीय हित से जुड़े वित्तीय परितंत्र में प्रत्येक हितधारक के लक्ष्य हैं। इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग समुदाय को शामिल करते हुए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस यात्रा में एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और यह सुनिश्चित करने की मुख्य कड़ी हैं कि वित्तीय प्रणाली जमीनी स्तर पर निर्बाध रूप से कार्य करें। इसलिए मैं इस मिशन में आपके सक्रिय सहयोग और सहभागिता का अनुरोध करता हूँ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, समावेशी और सतत संवृद्धि को बढ़ावा देने में एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी दोनों है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने से लेकर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तक, एसएलबीसी वित्तीय सेवाओं और वंचित आबादी के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय पर ध्यान केंद्रित करके, ऋण नियोजन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर और डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर जोर देकर, एसएलबीसी एक अधिक समावेशी वित्तीय परितंत्र बना सकते हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रयासों के ठोस परिणामों की निगरानी और मापन आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पहल करके और वित्तीय साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम व्यक्तियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे समावेशी और सतत आर्थिक संवृद्धि के व्यापक लक्ष्य में योगदान दिया जा सके जो कि विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है।

मैं सभी हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे सहयोगात्मक रूप से काम करना जारी रखें, प्रत्येक क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाएँ और वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करें। साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक संवृद्धि और विकास की हमारी यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे, हम सभी के लिए एक सुदृढ़ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

धन्यवाद।